

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
01 / 107 / 2021

तारीख दायर
20.12.2021

तारीख प्रा.निर्णय
24.01.2022

बउनवान

लेखराज पुत्र किशन लाल जाति खटीक निवासी ग्राम नौगांवा तहसील रामगढ जिला अलवर


—अपीलान्त

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र किशन खटीक निवासी नौगांवा तहसील रामगढ जिला अलवर राज०
2. अनूप सिंह पुत्र अमर सिंह जाति चमार निवासी ग्राम महताव बास तहसील नीमराणा अलवर
3. अनिल कुमार पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
4. कमला पत्नि रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
5. केवलराम पुत्र रामचन्द्र जाति चमार निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
6. गुडडी देवी पुत्री रामजीलाल गुर्जर निवासी केसरपुर तहसील व जिला अलवर
7. धनश्याम पुत्र कैलाश जाति मीणा निवासी मौहल्ला अखैपुरा तहसील व जिला अलवर
8. धोली पुत्री राजपाल नाबालिक जरिये सरक्षक माता खुद निवासी ग्राम बिछाला तहसील तिजारा अलवर
9. निर्मल पुत्री कैलाश जाति मीणा निवासी मौहल्ला अखैपुरा तहसील व जिला अलवर
10. प्रियंका पुत्री राजपाल नाबालिक जरिये सरक्षक माता खुद निवासी ग्राम बिछाला तहसील तिजारा अलवर
11. बतो पत्नि दुली चन्द निवासी ग्राम पलखडी तहसील व जिला अलवर
12. भरत लाल पुत्र सीताराम निवासी ग्राम डेरा तहसील राजगढ जिला अलवर
13. भौती पत्नि स्व० छोटा निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
14. मुकेश पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
15. मनोहर पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
16. मीरा पत्नि नन्दराम जाटव निवासी ग्राम खरखडी चावण्ड सिंह तहसील रैणी जिला अलवर

अपीलान्त अधिकारी
अलवर (राज०)

17. योगेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम विछाला तहसील तिजारा जिला अलवर
18. रतन लाल पुत्र मनफूल निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
19. रमेश चन्द पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
20. राजवाला पत्नि स्व० राजपाल निवासी ग्राम विछाला तहसील तिजारा अलवर
21. राजवाला पनि विजेन्द्र निवासी ग्राम डेरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
22. रामकला पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
23. रामसुखा पुत्र मुकन्दा निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
24. रामस्वरूप पुत्र मुकन्दा निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
25. लीला पुत्र मामराज निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर –मृतक
- 25/1- फूल वती पत्नि लीलाराम निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
- 25/2- मौसम पुत्री लीलाराम पनि रामप्रसाद निवासी निर्भयपुरा तहसील मालाखेडा अलवर
26. लीला देवी पुत्री रामजीलाल निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
27. लीलाराम पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम विछाला तहसील तिजारा जिला अलवर
28. विश्राम पुत्र कन्हैया लाल निवासी ग्राम वाजोली तहसील राजगढ जिला अलवर
29. श्रीचन्द पुत्र रामजीवन निवासीग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
30. शिवलाल पुत्र रामजीवन निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
31. सगरू पुत्र दूला जाति चमार निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर— मृतक
- 31/1- पांची पत्नि सगरू
- 31/2- हरि सिंह पुत्र सगरू
- 31/3- राममोली पुत्र सगरू
- 31/4- फूलवती पुत्री सगरू
- 31/5- जुम्मा पुत्र सगरू
- 31/6- कल्ली पुत्री सगरू
- 31/7- जमना पुत्री सगरू निवासीयान ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर राज
32. सुभाष सिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर
33. सुरेश कुमार पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर


 रामचन्द्र अधिकारी
 अलवर (राज०)

हप्पी देवी पत्नि स्व० कैलाश निवासी मोहल्ला अखैपुरा तहसील व जिला अलवर
श्रीहीरा लाल पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर

- असल प्रतिवादीगण

36-राजस्थान सरकार जरिये तहसील अलवर तहसील व जिला अलवर राज०


- तस्तीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188

राज० काश्तकारी अधिनियम

प्रारम्भिक निर्णय


वाद का संक्षिप्त विवरण इस वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। कि आराजी खसरा नंबर 655/1757 रकबा 0.0700 है०, 660 रकबा 0.2500 है०, 661 रकबा 0.3600 है०, 671 रकबा 0.1700 है०, 672 रकबा 0.1100 है०, 673 रकबा 0.3300 है०, 674 रकबा 0.3200 है०, 675 रकबा 0.0300 है०, 676 रकबा 0.0800 है०, 677 रकबा 0.0200 है०, 678 रकबा 0.2300 है०, 679 रकबा 0.0500 है०, 681 रकबा 0.3100 है०, 682 रकबा 0.3900 है०, 683 रकबा 0.7900 है०, 684 रकबा 0.1700 है०, 685 रकबा 0.0300 है०, 686 रकबा 0.0300 है०, 687 रकबा 0.2100 है०, 688 रकबा 0.2200 है०, 689 रकबा 0.0800 है०, 690/765 रकबा 0.3000 है०, 691रकबा 0.1500 है०, 692 रकबा 2.7900 है०, 694 रकबा 0.2600 है०, 695 रकबा 0.3900 है०, 697रकबा 0.2700 है०, 698 रकबा 0.7700 है०, 699 रकबा 0.5400 है०, 700 रकबा 0.1500 है०, 702रकबा 0.1800 है०, 703 रकबा 0.1500 है०, 704 रकबा 0.8900 है०, 705 रकबा 0.3600 है०, 706रकबा 0.9800 है०, 730 रकबा 0.6000 है०, 731 रकबा 0.0100 है०, 732 रकबा 0.4700 है० कुल किता 38 वाके ग्राम केसरपुर,तहसील व जिला अलवर मे स्थित है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2071 ला० 2074 में दर्ज है। जिसकानया खाता संख्या 8 व पुराना खाता संख्या 202 है। उपरोक्त आराजी में वादी का 5/216 हिस्सा है व प्रतिवादीगण का भी मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है। वादी व असल प्रतिवादीगण के दरमियान आपसी तौर से बंटवारा हो चुका था। जिस बंटवारे में मिनवादी के हक व हिस्से में आराजी खसरा नंबर 661रकबा 0.3600 है। आया। जिस पर मिनवादी काबिज है। मिनवादी ने अपने हिस्से में आई हुई उक्त आराजी खसरा नंबर 661 के चारो तरफ पत्थरों की दीवार खड़ी की हुई है व उक्त आराजी में एक कमरा बनाया हुआ है। जिस पर मिनवादी बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। सिंचाई हेतु बोरिंग की हुई है एवं बिजली कनेक्शन लगा हुआ है। चार दिवारी का गेट लगा हुआ है। कागजात माल में उपरोक्त आराजी अविभाजित दर्ज है जबकि मौके पर उक्त आराजी का आपसी तौर से बंटवारा हो चुका है और मिनवादी बंटवारे के मुताबिक उक्त आराजी खसरा नंबर 661 रकबा 0.3600 है। पर काबिज है।


रामचण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मिनवादी द्वारा प्रतिवादीगण को अनेकों बार उक्त आराजी का कागजात माल में बंटवारा करने के बाबत कहा लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गई है कि जो बंटवारा करने से व बंटवारे का इन्द्राज कागजातमें दर्ज कराने से आनाकानी कर रहे हैं वल्कि वो मिनवादीकी व आराजी खसरा नंबर 661 रकबा 0.3600 है। पर कब्जा करने व वादी के कार्य काशत में बाधा पैदा करनेपर उतारू है। जिस बाबत उन्होंने दिनांक 04-12-2021 को भी झगडा फसाद किया व मिनवादीके कब्जेकाशत की उक्त आराजी खसरा नंबर 661 पर कब्जा करने की धमकी दी व उक्त आराजी कागजात माल में जो अविभाजित है उसे रहन बय करने की धमकी दी जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है।

यदि प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को रहन बय आदि के द्वारा मुंतकिल कर दिया व वादी के हिस्से में आई हुई आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो मिनवादी को भारी हानि होंगी कि जिसकी पूर्ति किसी अन्य प्रकार से नहीं हो सकेगी। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति मिनवादी के पक्ष में है।

वादी ने दावा प्रस्तुत कर दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाने का निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 655 / 757 रकबा 0.0700 है, 660 रकबा 0.2500 है, 661 रकबा 0.3600 है, 671 रकबा 0.1700 है, 672 रकबा 0.1100 है, 673 रकबा 0.3300 है, 674 रकबा 0.3200 है, 675 रकबा 0.0300 है, 676 रकबा 0.0800 है, 677 रकबा 0.0200 है, 678 रकबा 0.2300 है, 679 रकबा 0.0500 है, 681 रकबा 0.3100 है, 682 रकबा 0.3900 है, 683 रकबा 0.7900 है, 684 रकबा 0.1700 है, 685 रकबा 0.0300 है, 686 रकबा 0.0300 है, 687 रकबा 0.2100 है, 688 रकबा 0.2200 है, 689 रकबा 0.0800 है, 690 / 765 रकबा 0.3000 है, 691 रकबा 0.1500 है, 692 रकबा 2.7900 है, 694 रकबा 0.2600 है, 695 रकबा 0.3900 है, 697 रकबा 0.2700 है, 698 रकबा 0.7700 है, 699 रकबा 0.5400 है, 700 रकबा 0.1500 है, 702 रकबा 0.1800 है, 703 रकबा 0.1500 है, 704 रकबा 0.8900 है, 705 रकबा 0.3600 है, 706 रकबा 0.9800 है, 730 रकबा 0.6000 है, 731 रकबा 0.0100 है, 732 रकबा 0.4700 है। कुल किता 38 कुल रकबा 13.5100 है। वाके ग्राम केसरपुर, तहसील व जिला अलवर में स्थित है, का बंटवारा कब्जे के अनुसार कर दिया जावे व अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी तकसीम की जावे व कुर्रजात काटे जाकर अलग से खाता कायम किया जावे। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण असल सादिर फरमाया जावे। यह है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण, वादी को उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 655 / 757 रकबा 0.0700 है, 660 रकबा 0.2500 है, 661 रकबा 0.3600 है, 671 रकबा 0.1700 है, 672 रकबा 0.1100 है, 673 रकबा 0.3300 है, 674 रकबा 0.3200 है, 675 रकबा 0.0300 है, 676 रकबा 0.0800 है, 677 रकबा 0.0200 है, 678 रकबा 0.2300 है, 679 रकबा 0.0500 है, 681 रकबा 0.3100 है, 682 रकबा 0.3900 है, 683 रकबा 0.7900 है, 684 रकबा 0.1700 है, 685 रकबा 0.0300 है, 686 रकबा 0.0300 है, 687 रकबा 0.2100 है, 688 रकबा 0.2200 है, 689 रकबा 0.0800 है, 690 / 765 रकबा 0.3000 है, 691 रकबा 0.1500 है, 692 रकबा 2.7900 है, 694 रकबा 0.2600 है, 695 रकबा 0.3900 है, 697 रकबा 0.2700 है, 698 रकबा 0.7700 है, 699 रकबा 0.


उमराज अहिर
अलवर (राज.)

5400 है०, 700 रकबा 0.1500 है०, 702 रकबा 0.1800 है०, 703 रकबा 0.1500 है०, 704 रकबा 0.8900 है०, 705 रकबा 0.3600 है०, 706 रकबा 0.9800 है०, 730 रकबा 0.6000 है०, 731 रकबा 0.0100 है०, 732 रकबा 0.4700 है०। कुल किता 38 कुल रकबा 13.5100 है। वाके ग्राम केसरपुर, तहसील व जिला अलवर में कार्य काश्त करने व फसल काटने समेटने व लाने व ले जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना करें व ना ही आराजी को दीगर जगह रहन वय आदि के द्वारा मुंतकिल व मकफूल करें व मौके की स्थिति यथावत कायम रखी जावे। वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण असल सादिर फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01,4,6,7,9,13,16,18,19,21,23,24,28,29,30,31/1 लगा. 31/7,32, एवं 35 ने उपस्थित होकर इकवाल जवाब प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने वकीलवादी को सुना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी कि तकसीम का अनुतोष चाहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है, कि विवादित आराजी खसरा नं. आराजी खसरा नंबर 655/1757 रकबा 0.0700 है०, 660 रकबा 0.2500 है०, 661 रकबा 0.3600 है०, 671 रकबा 0.1700 है०, 672 रकबा 0.1100 है०, 673 रकबा 0.3300 है०, 674 रकबा 0.3200 है०, 675 रकबा 0.0300 है०, 676 रकबा 0.0800 है०, 677 रकबा 0.0200 है०, 678 रकबा 0.2300 है०, 679 रकबा 0.0500 है०, 681 रकबा 0.3100 है०, 682 रकबा 0.3900 है०, 683 रकबा 0.7900 है०, 684 रकबा 0.1700 है०, 685 रकबा 0.0300 है०, 686 रकबा 0.0300 है०, 687 रकबा 0.2100 है०, 688 रकबा 0.2200 है०, 689 रकबा 0.0800 है०, 690/765 रकबा 0.3000 है०, 691 रकबा 0.1500 है०, 692 रकबा 2.7900 है०, 694 रकबा 0.2600 है०, 695 रकबा 0.3900 है०, 697 रकबा 0.2700 है०, 698 रकबा 0.7700 है०, 699 रकबा 0.5400 है०, 700 रकबा 0.1500 है०, 702 रकबा 0.1800 है०, 703 रकबा 0.1500 है०, 704 रकबा 0.8900 है०, 705 रकबा 0.3600 है०, 706 रकबा 0.9800 है०, 730 रकबा 0.6000 है०, 731 रकबा 0.0100 है०, 732 रकबा 0.4700 है० कुल किता 38 वाके ग्राम केसरपुर, तहसील व जिला अलवर का मौके के अनुसार कुरेजात कायम कर कुरेजात रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी 01.02.2022 से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करे। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अलवर